आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
5/12/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील वाद सं0 11/2013** **दीपनारायण राय बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 1928/2013 दीपनारायण राय बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.02.2013 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 24/मु0 दिनांक 2.7.2012 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अमनौर के द्वारा सूचित किया गया था कि दिनांक 9.5.2012 को संध्या 6.30 बजे थानाध्यक्ष भेल्दी द्वारा सूचना के आधार पर भेल्दी थाना के साथ खरिदहां कोल्ड स्टोर के पास पहुँचे, उसी समय अपहर की ओर से पिकअप भान को रोका गया, पर चालक वाहन को रोका नहीं वाहन को भगाने लगा, जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया था। पिकअप भान पर चार ड्राम किरासन तेल पाया गया था। चालक से पृच्छा करने पर बतलाया था कि उक्त किरासन विकेता दीपनारायण राय, पिता–पंछी राय एवं रीता सिन्हा एवं पति अरूण कुमार श्रीवास्तव पंचायत–अपहर का है, जो पिकअप भान का मालिक शैलेन्द्र पाण्डेय, पिता–रामेश्वर पाण्डेय, ग्राम–सलखुआ, थाना–अमनौर के मिली भगत एवं कालाबाजारी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पिकअपर भान सं0 W.B. 23B-0994 पर लदे चार ड्राम में कुल लगभग 800 लीटर किरासन तेल उपलब्ध था, जिसकी जप्ती सूची तैयार कर विकेता एवं रीता सिन्हा के विरूद्व भेल्दी थाना कांड सं0 46/2012 दिनांक 10.5.2012 के तहत 7EC का मामला दर्ज किया गया था। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अमनौर के प्रतिवेदन एवं भेल्दी थाना कांड सं0 46/2012 दिनांक 10.5.2012 के आलोक में किरासन तेल की कालाबाजारी की संलिप्ता के आरोप में विकेता से कारणपृच्छा की मॉग किया गया था। विकेता से प्राप्त कारणपृच्छा में प्रस्तुत किए गए तर्क से उनके उपर लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता और प्राथमिकी में वर्णित आरोप सत्य प्रतीत पाया गया बतलाया। विकेता द्वारा प्राप्त कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों, निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्राथमिकी में वर्णित आरोप के अवलोकन तथा	